फर्द अहकाम

कविता बनाम कंचन वगै०

नाम न्यायालय A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)

केस संख्या 14/2025 दावा - 53,188 R.T.A.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	27/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी के पक्ष श्रवण किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी मुताबिक उर्जात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने हेतु सहमत है। अतः उर्जात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से दावा मुताबिक उर्जात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल मिसल हो। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) A. C. & E. M. (F. T.) SHAHPURA (JAIPUR)	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 14 / 2025

उनवान

1.कविता वर्मा पत्नि चिमलेश मरणोलिया, उम्र–व्यस्क, जाति चलाई निवासी लखेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)

–वादीया

बनाम

1.कंचन पुत्री रामजीलाल

2 नवीन पुत्र रामजीलाल

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति खटीक, निवासी तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०) ग्राम मनोहरपुर,

3 उपपंजीयक–शाहपुरा / मनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27|10|25

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नं0–9040 / 1247 रकबा 0.2950 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 0.2950 हैक्टर वाकै ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का मनोहरपुर, भू.अभि.नि. मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी में वादीया का 1 / 2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं०–1 कंचन पुत्री रामजीलाल का 1 / 12 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0–2 नवीन पुत्र रामजीलाल का 5 / 12 हिस्सा राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं0–2074 से 2077 खाता सं0–330 संलग्न वाद पत्र ळें यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित भूमि पर वादीया व प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त आराजी खसरा नम्बरान की भूमि पर शामिल में ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है उक्त भूमि का खातेदारान के मध्य कभी कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गयी है और उन्होने वादीया के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना लिया है और वादीया को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत व अडचन पैदा करने लग गये है तथा उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

निर्माण कार्य करने व वादीया को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा उक्त विवादित आराजी सुतनाजा के ऊपजाऊ व विशिष्ट भू–भाग का बेचान दीगर व्यक्तियो के पक्ष में करने पर आमादा है। यहकि अभी अर्सा–5 दिन पूर्व प्रतिवादीगण अपने परिवार सहित उक्त विवादित आराजी मुतनाजा पर आये और उक्त विवादित भूमि की नाप जोख करने लगे तब वादीया ने नाप जोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम उक्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करेगे तथा भूमि का बेचान करेगे जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण को मना किया कि ओर कहा कि अभी अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है तथा आपको किसी भी विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा करवाये बेचान करने व निर्माण कार्य करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने एलानियां कहा कि हम तो बिना तकास्मा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग का बेचान दीगर अजनबी व्यक्तियो को करेगे तथा निर्माण कार्य करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि वे सहखातेदारी में नहीं रहना चाहते है व उक्त भूमि का बिना तकास्मा कराये ही विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य करने व बेचान करने को आमादा फिसाद है इसलिये वादीया को प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिकार हासिल है कि न्यायालय श्रीमान् द्वारा उक्त विवादित भूमि का सरस नरस के आधार पर बंटवारा कराया जाकर वादीया के हिस्से में आयी भूमि का पर्चा लगान अलग अलग निर्धारित करावे । यहकि वाद पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित सम्पूर्ण आराजीयात वादीया व प्रतिवादीगण की सामलाती सम्पति मुतनाजा है उक्त आराजीयात का पूर्व में कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजी के प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जावेगा तथा आराजी में निहित पेड, पौधे, पूला, पानी पर प्रत्येक सहखातेदार का हिस्सा माना जावेगा लेकिन प्रतिवादीगण उक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये ही उसके उपजाऊ विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर निर्माण कार्य करने को आमादा है तथा यादीया के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत पेश करते है। यहकि यदि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्यूबों में सफल हो गये और उक्त आराजी सुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कार्य कर लिया या आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियो को बेचान कर उनके पक्ष में अन्तरण डीड पंजीबद्ध करवाकर व आराजी के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाकर वादीया को आराजी मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्तियो का कब्जा करवा देगे तो इससे वादीया के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

बादीया को यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का कानूनी बंटवारा करवाने व उन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि यहकि हाल आराजी खसरा नं0–9040/1247 रकबा 0.2950 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 0.2950 हैक्टर वाकै ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का मनोहरपुर, भू.अभि.नि. मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का वादीया एवं प्रतिवादीगण सं0–1 व 2 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड (सरस नरस के आधार पर) राजस्व बोर्ड के नियमो के आधार पर बंटवारा करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यहकि प्रतिवादीगण व उनके नौकर, एजेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे हाल आराजी खसरा नं0–9040/1247 रकबा 0.2950 हैक्टर कुल किता–1 कुल रकबा 0.2950 हैक्टर वाकै ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का मनोहरपुर, भू.अभि.नि. मनोहरपुर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर में बाद बंटवारा वादीया के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई बाधा कारित नहीं करे जबकि वादीया को शांति पूर्वक अपनी आराजी का उपयोग उपभोग करने देवे, आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियो को रहन बय हस्तान्तरण नहीं करे, आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का कोई कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की तामिल जरिये रजिस्टर्ड डाक करवाई , जो समुचित रूप से नहीं होने के कारण पुनः नोटिस चस्पानगी से करवायी गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाद तामील एंव सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिंनाक 18.06.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। प्रकरण में वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील वादी को सुना गया। मूल वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का होने से दावा दिनांक 18.06.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2025/4989 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई । वकील वादी ने प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया एवं अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट

A.C. & E.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

सही प्रतित होने से मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता नम्बर 330 खसरा नं0–9040/1247 कुल किता–1 कुल रकबा 0.2950 है० वाकै ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. कविता वर्मा पत्नी विमलेश नारनोलिया जाति बलाई निवासी लखेर तहसील आमेर खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 9040/1247/1 रकबा 0.1475 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1475 है0 भूमि रहेगी।
2. कंचन पुत्री रामजीलाल जाति खटीक हिस्सा 246/1475 सा. देह खातेदार, नवीन पुत्र रामजीलाल जाति खटीक हिस्सा 1229/1475 सा.देह खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 9040/1247/2 रकबा 0.1475 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1475 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27/10/25 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

A.C. & E.M.(F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 14 / 2025

उनवान

1.कविता वर्मा पत्नि चिमलेश मरणोलिया, उस–व्यस्क, जाति चलाई निवासी लखेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज०)

–वादीया

बनाम

1.कंचन पुत्री रामजीलाल

2 नवीन पुत्र रामजीलाल

समस्त उम्र–व्यस्क, जाति खटीक, निवासी तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०) ग्राम मनोहरपुर,

3 उपपंजीयक–शाहपुरा / मनोहरपुर, तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह० शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज०)

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27/10/25

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खाता नम्बर 330 खसरा नं0–9040 / 1247 कुल किता–1 कुल रकबा 0.2950 है० वाकै ग्राम मनोहरपुर, पटवार हल्का मनोहरपुर तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राज० की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैं :–

1. कविता वर्मा पत्नी विमलेश नारनोलिया जाति बलाई निवासी लखेर तहसील आमेर खातेदार के हिस्से मे आराजी खसरा नंबर 9040 / 1247 / 1 रकबा 0.1475 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1475 है0 भूमि रहेगी।

2. कंचन पुत्री रामजीलाल जाति खटीक हिस्सा 246 / 1475 सा. देह खातेदार, नवीन पुत्र रामजीलाल जाति खटीक हिस्सा 1229 / 1475 सा.देह खातेदार के हिस्से

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

मे आराजी खसरा नंबर 9040/1247/2 रकबा 0.1475 है0 किता 1 कुल रकबा 0.1475 है0 भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा की ओर से प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा।साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शान्तिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 27/10/25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर
A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

A. C. & E. M. (F. T.)
SHAHPURA (JAIPUR)